लिंग, विद्यालय एवं समाज
(Gender, School and Society)

Date 20/05/2020

PAGE NO. 1

2. बालको के लिए बाल संजीवनी योजना तथा बालिकाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना क्या है? विस्तार से समझाऐं।

उत्तर :- बाल संजीवनी योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत बालकों मे कुपोषण को रोकथाम करते हुए उसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया गया है। कुपोषण से बचाव एवं निदान हेतु वर्ष 2001 से ही चलाया जाता रहा है। इस योजना को वर्ष 2 बार चलाया जाता है। इस योजना के द्वारा कुपोषण को कम करने मैं सफलता मिली है। वर्ष 2001 में कुल कुपोषण का प्रतिशत 51.57 से घटकर वर्ष 2007 में आयोजित 11वे बाल संजीवनी योजना के बाद ... हो गया है। इसी प्रकार गंभीर कुपोषण का प्रतिशत 5.10 से घटकर 0.57 रह गया है।

अभियान की मुख्य गतिविधियाँ :-

(1) आंगनवाड़ी क्षेत्र और आस-पास के पारे, टोले, मजरो, आदि के 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का सर्वेक्षण करना।

(2) कार्यरत सभी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के अमलो का प्रशिक्षण।

(iii) 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चो का वजन लेना तथा वजन लेकर कुपोषण का ग्रेड जानना।

(iv) समय के साथ बच्चों के माता-पिता को बच्चे का कुपोषण ग्रेड समझाना एवं उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए उचित सलाह देना।

(v) 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चो को विटामिन 'ए' की खुराक पिलाना। इनके साथ-साथ नियमित टीकाकरण कराना।

(vi) कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जाँच करवाकर उन्हे दवाईयाँ उपलब्ध करवाना।

(vii) गम्भीर कुपोषित बच्चों को शासन द्वारा चलायी जा रही बाल शक्ति योजना का लाभ दिलवाना।

प्रोजेक्ट मुस्कान (project mushkan)

इस योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेशभर मे महिलाओ एवं बच्चों मे कुपोषण, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, व एनीमिया कम करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 48 जिलो की 367 परियोजनाओं मे स्वास्थ्य जाँच व उपचार के लिए शिविर का आयोजन किये जा रहे है। इन स्वास्थ्य शिविरों में 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों किशोरी, बालिकाओं, गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताओ का स्त्री रोग,

शिशु रोग, दन्त रोग व नेत्र रोग तथा हीमोग्लोबिन तथा स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था की गयी है। प्रोजेक्ट शक्तिमान में शामिल 13 जिलो में सर्वाधिक कुपोषित आदिवासी बहुल्य 33 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के 40 क्लस्टर में शामिल 337 गाँवो की आँगनबाड़ी के हितग्राहियों के लिए स्वास्थ्य जाँच के लिए 205 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों का आयोजन उसी स्थान पर किये जा रहे हैं, जहाँ किसी प्रकार चिकित्सा सेवाएँ नहीं हैं।

प्रोजेक्ट शक्तिमान योजना
(project shaktiman plan)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलायी गई योजना है, जिसके द्वारा प्रदेशभर मे आदिवासी बहुल्य गाँवो में जहाँ बच्चो मे कुपोषण की दर बहुत अधिक है, कुपोषण को कम करने के लिए चलायी गयी थी। मंत्री परिषद के निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का नाम प्रोजेक्ट शक्तिमान रखा गया है। प्रोजेक्ट शक्तिमान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी एवं अन्य गाँवो के बच्चो तथा महिलाओं को कुपोषण से पुरी तरह मुक्त करना है।

'प्रोजेक्ट आत्मिमान' का मुख्य उद्देश्य आदिवासी एवं अन्य गाँवों के बच्चों तथा महिलाओं को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के चयनित १० जिलों के ८५ विकासखण्डों के अन्तर्गत ६८ गाँवों के ४७ क्लस्टर बनाये गये हैं। कुल ९०० गाँव सम्मिलित हैं, जिनमें ७७२ आदिवासी और १२८ अन्य गाँव हैं। इस योजना से लगभग ६० हजार बच्चे लाभान्वित होंगे।

'प्रोजेक्ट आत्मिमान' के तहत कुछ प्रावधान किये गये हैं जिसके तहत कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त कैलोरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष पोषण आहार के तहत ६ वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन प्रोटीन एवं कैलोरीयुक्त बिस्कुट / मौसमी फल, उबले आलू, मध्याह्न भोजन की तरह दाल-चावल, सब्जी एवं रोटी या अन्य उपयुक्त सामग्री दी जा रही है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर हर रोजाना ८ रु का पोषण आहार दिया जाता है। किन्तु प्रोजेक्ट आत्मिमान के तहत राज्य सरकार अपने मद से हर रोज हर बच्चे को ४ रु का अतिरिक्त पोषण आहार दिला रही है। कुल मिलाकर इन बच्चों को प्रतिदिन १२ रु का पोषण आहार मिल रहा है। इसके तहत आंगनवाड़ी सेविका कार्यकर्ता को ५००० रु और सहायिका को २५०० रु का मानदेय दिया जाता है। दे रही है।

लाडली लक्ष्मी योजना

Ladli Lakshmi plan

लाडली लक्ष्मी योजना पूरे मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल, २००७ से लागू की गई है। इस योजना के तहत सभी बालिकाओं के नाम से प्रतिवर्ष ६००० रु लगातार ५ वर्षों तक कुल ३०,००० रु के राष्ट्रीय बचत किये जाएंगे।

(1) २००६ के बाद जन्मी बालिका जिसके माता-पिता आयकर दाता न हो तथा इनके द्वारा दो बच्चों पर परिवार नियोजन कराया गया हो एवं जन्म के १ वर्ष में आंगनवाड़ी में पंजीकृत हो। या बालिका अनाथ हो एवं अनाथालय में रहती हो।

2 ऐसी बालिकाएँ जिनका जन्म १ अप्रैल, २००८ के उपरान्त के बाद हुआ हो जिनके माता-पिता आयकर दाता न हो एवं जन्म के १ वर्ष में आंगनवाड़ी में पंजीकृत हो। द्वितीय प्रसव के बाद परिवार नियोजन की शर्त रहेगी।

(1) बेटी के कक्षा ६ मे प्रवेश पर रु २,००० मिलेगा।
(2) बेटी के कक्षा ९ में प्रवेश पर रु ४,००० मिलेगा।
(3) बेटी के कक्षा ११ में प्रवेश पर रु ७५०० मिलेगा।
(4) बेटी के कक्षा ११ एवं १२ में पढ़ाई के समय २ वर्ष तक रु २०० प्रति माह मिलेगा। यह राशि बढ़कर अब ३०० रु प्रति माह हो गई है।
(5) २१ वर्ष की होने पर शेष राशि इस तरह कुल

राशि ₹ 1,00,000 लाख से अधिक।

अनुकरण करें

(1) कक्षा 12वीं की परीक्षा तक पढ़ाएँ।

(2) 18 वर्ष पूर्व बालिका की शादी न करें।

मंगल दिवसों का आयोजन :-

विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, गतिविधियों, व कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक ऐसी योजना की परिकल्पना की गई, जो अपने आप में प्रभावोत्पादक हो प्रभावशाली हो। जिससे एवं अन्य कार्यक्रमों को सजीव एवं परिणाम मूलक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों और जनसमुदायों व दोनों के बीच आत्मीय सम्बन्ध बनाने में भी सहायक हो ताकि आई. सी. डी. एस. योजना को अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सके। उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार व्यवस्था में परिवर्तन के साथ-साथ कुछ नवीन गतिविधियाँ मंगल दिवस के रूप में प्रारंभ की गई है। इसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर माह के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ मंगलवार को क्रमशः निम्नलिखित का आयोजन किया जाता है।

(1) गोदभराई योजना :-

यह कार्यक्रम माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव की गर्भवती महिला को आँगनवाड़ी केन्द्र में आमन्त्रित कर आयरन फोलिक एसिड की 100 गोलियाँ (शिशु एवं मातृ सुरक्षा कार्ड तथा बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता की राशि 500 रुपए भी दी जाती है। गोदभराई कार्यक्रम में सम्मिलित गर्भवती महिला को सांस्कृतिक सामग्री, जैसे- श्रीफल, सिन्दूर चूड़ी बिंदी इत्यादि प्रतीक स्वरूप वितरित की जाती है। गर्भावस्था में उचित आहार और देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है।

अन्नप्राशन योजना:-

अन्नप्राशन कार्यक्रम को माह के द्वितीय मंगलवार को आँगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी गर्भवती / धात्री माताओं को आँगनवाड़ी केन्द्र पर बुलाकर 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों को प्रथम बार ऊपरी आहार देती है। कार्यक्रम के आयोजन पर सभी बच्चे को कटोरी-चम्मच प्रतीक स्वरूप दी जाती है। इस आयोजन में बच्चों की माँ ऊपरी आहार की शुरुआत के महत्व पर परिवार के अन्य सदस्यों को परामर्श भी दिया जाता है।

जन्म दिवस योजना :

जन्म दिवस योजना प्रतिमाह के तीसरे मंगलवार को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी बच्चों का वजन लेकर रजिस्टर में दर्ज करती है। आयोजन के दौरान सभी बच्चों का वजन लेकर रजिस्टर में दर्ज करती है। कार्यक्रम के समय बच्चों को गिफ्ट के रूप में पेन्सिल, रबर, पानी की बोतल, दी जाती है।

किशोरी बालिका दिवस :

प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को यह मनाया जाता है। उस दिन आंगनवाड़ी केन्द्र पर सभी किशोरी बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका के तहत सन्तुलित आहार, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा आजीविका गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवसर पर उपस्थित एवं सभी किशोरी बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सामान्य ज्ञान एवं खेल प्रतियोगिताएँ भी आयोजित किये जाने का प्रावधान है। किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य की जाँच की जाती है एवं आवश्यकतानुसार उपचार व निःशुल्क दवा उपलब्ध करायी जाती है।

मंगल दिवसों के आयोजन से आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रति

हितग्राहियों के आवश्यकता से जोड़ी गई है। जिससे लाभार्थी हितग्राहियों की संख्या बढ़ी है। सेवाओं के प्रति जन जागरूकता में जागरूकता बढ़ी है। अंतिम दिनों की कार्यवाही में लगभग ३,५०,५५० हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया जा चुका है।

* दार्शनिक दृष्टिकोण की विशेषताएँ ⟹ विभिन्न दर्शनों में दार्शनिक दृष्टिकोणों के विवेचन से विद्वानों ने दार्शनिक दृष्टिकोण को निम्नलिखित विशेषताएँ बताई है —

1) विस्मय की भावना ⟹ दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जो अपने चारो ओर की प्राकृतिक एवं सांसारिक व्यवस्था एवं घटनाओं को देखकर आश्चर्य प्रकट करता है। और केवल आश्चर्य हि नही प्रकट करता बल्कि उनके मूल करणों की खोज में लिन हो जाता है।

2) संदेह ⟹ दार्शनिक प्रत्येक बात के मूल में ठोस प्रमाणों की खोज के लिए प्रत्येक बात को संदेहात्मक दृष्टि से देखता है।

3) मीमांसा ⟹ दार्शनिक किसी भी बात को ज्यों-का त्यों नही स्विकार करता है, बल्कि उसकी मीमांसा करके ही उसको मान्यता प्रदान करता है।

4) चिन्तन ⟹ मीमांसा के चिन्तन कि आवश्यकता होती है। अतः दार्शनिक दृष्टिकोण चिन्तनशील होता है।

5) तटस्थता ⟹ दार्शनिक अन्धविश्वाली नही होता है वह तटस्थ भाव से किसी प्रश्न पर चिन्तन करता है साथ ही, उसमें स्वतंत्र विचार होता है। वह जनमत आदि से अलग होता है। वह स्वयम अपने मत का निर्धारण करता है।

6) दार्शनिक विधि ⟶
1) आगमन विधि
2) निगमन विधि
3) द्वन्द्वात्मक विधि
4) विश्लेषणात्मक विधि
5) संश्लेषणात्मक विधि

7) दार्शनिक क्रिया ⟹ दर्शन की क्रिया दार्शनिक चिन्तन है। यह एक वैयक्तिक एवं सामूहिक, एकान्त तथा सामाजिक दोनो ही परिस्थितियों में किया जाता है। यह चिन्तन सर्वांगीण है।

8) दार्शनिक प्रभाव ⟹ दर्शन का प्रभाव दार्शनिक के जीवन, उसकी आशाओं - निराशाओं, उसकी मनोवृत्ति आदि मे दिखलाई पड़ता है। साथ ही दर्शन का प्रभाव सामूहिक जीवन, सभ्यता एवं संस्कृति आदि में भी देखा जाता है।

9) दार्शनिक निष्कर्ष ⟹ [illegible] दार्शनिक प्रश्नों को उठाता है और उन पर दार्शनिक ढंग से विचार करता है और विचार-विमर्श के फलस्वरूप कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करता है, परन्तु इन निष्कर्षों के अन्तिम नही मानता और अपनी दार्शनिक क्रिया को बराबर बनाये रखता है।

[signature] 21/05/2020

C-11

पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रकाश:-

or

पर्यावरण शिक्षा और पाठ्यक्रम:-

पाठ्यक्रम सम्बन्धी उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को पर्यावरण शिक्षा के लिए आधार रूप से स्वीकार करते हुए यह पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो? कैसा हो पर प्रकाश डालते है तो स्पष्ट होता है कि पर्यावरण शिक्षा का शिक्षार्थी समूह पूरा देश है, जिसमे हर आयु वर्ग के लोग, विद्यार्थी, विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षित - अशिक्षित पुरुष महिला सम्मिलित है।

अतः यह सम्भव ही नही कि एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम सभी के लिए हो पाठ्यक्रम का सैद्धान्तिक स्वरूप समान हो सकता है परन्तु विषय वस्तु का व्यवहारिक स्वरूप भिन्न-भिन्न हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न - भिन्न होती है धरातली संरचना, जल स्तर, जलवायु जन संख्या घनत्व, औद्योगिकी एवं संसाधना उपलब्धता खनिजों की बाहुलता आदि भिन्न भिन्न है इस कारण पार्यवरण शिक्षा मे पाठ्यक्रम की विविधता भी जैविक तथा अजैविक घटकों के माध्यम से प्रभावित होती है इसके पर्यावरण समस्या - समाधान एवं मानव हित इसका उपयोग आदि सब सम्मिलित है

11-

1 => वृहद शीर्षों में पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम
(Curriculum of Environmental Education in Board Heads)

1:- सौर परिवार
2:- पारिस्थितिकी तंत्र
3:- प्राकृतिक संसाधन
4:- व्यक्तिगत स्वास्थ्य
5:- उर्जा
6:- प्रदूषण
7:- पर्यावरणीय समस्या
8:- पर्यावरण कानून एवं प्रावधान
9:- पर्यावरणीय प्रबन्धन
10:- पर्यावरण के विभिन्न अन्य पक्ष

2 => विभिन्न स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम:

(A) औपचारिक पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम का स्तर
(1) प्राथमिक स्तर
(2) उच्चप्राथमिक स्तर
(3) सेकेण्डरी स्तर
(4) विश्वविद्यालयी स्तर

(B) अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम

प्राथमिक स्तर:- इस आयु वर्ग के बच्चे पढ़ने के बजाय देखने, भ्रमण करने, खेलने तथा सामूहिक कार्यक्रमों में अधिक भाग लेते हैं इनके स्तर पर्यावरण शिक्षा पाठ्य क्रमों में भ्रमण एवं सामूहिक क्रिया कलापों पर आधारित पर्यावरण पाठ्यक्रम को संचालित करना चाहिए इन्हे पानी, वायु, भोजन, वन, स्वास्थ्य, आदि का ज्ञान इनके विषय वस्तु में सम्मिलित कर पर्यावरण शिक्षण पाठ्यक्रम का आधार बनाया जा सकता है

उच्च प्राथमिक स्तर:- इस स्तर पर विद्यार्थी प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में समझने लगता है अतः इन्हे आडियो-विडियो रिकार्ड्स, फिल्म, प्रदर्शनी, नाटक, कविताएँ, गीत, पहेलियाँ, खेल आदि से पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है अतः विविधाओं का उपयोग करना इनके पाठ्यक्रम मे सम्मिलित होना चाहिए

सेकेण्डरी स्तर:→ इस स्तर पर विद्यार्थियों में समझ का स्तर बढ़ जाता है और वह अपने स्वयं को हानि-लाभ के अतिरिक्त सामाजिक सम्बन्धी मूल्यपरक और मानव कल्याण तथा देशहित के कार्यों में रूची लेने लगते है। अतः विषय वस्तु सम्बन्धित कुछ जटिलताओं से उनको परिचित कराया जा सकता है जैसे- बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम, खाद्यान्न की कमी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, भूमि क्षरण, वन्य जीव संरक्षण आदि।

विश्वविद्यालीय स्तर:- इस स्तर पर पर्यावरण का पाठ्यक्रम ~~(विश्लेषणात्म~~ विश्लेषणात्मक एवं संरक्षणात्मक स्तर पर सम्मिलित होना चाहिए साथ ही साथ प्रबन्धन स्तर का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होना चाहिए और उसे व्यवहारात्मक जीवन में अपनाने योग्य क्षमताओं का विकास होना चाहिए देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होना प्रदूषण, वन्य जीव संरक्षण आदि पर्यावरणीय विविध समस्या-समाधान को [illegible] करना होगा।

विस्तृत स्तर पर पाठ्य क्रम के प्रमुख बिन्दु को रखा जा सकता है

(A) पर्यावरण, पृथ्वी एवं परिस्थितिकी -

1. अपना पर्यावरण
2. सौरमण्डल
3. पृथ्वी और परिस्थितिकी

(B) प्राकृतिक संसाधन वन्य जीव एवं ऊर्जा

1. विभिन्न प्राकृतिक संसाधन
2. जैविकी विविधता
3. वन्य जीव
4. राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण
5. ऊर्जा के प्रमुख स्रोत
6. जल, वायु, मृदा आदि

(C) पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और कानून

1. विभिन्न प्रकार के प्रदूषण
2. अपशिष्ट निस्तारण
3. पर्यावरणीय कानून एवं अधिनियम
4. पर्यावरणीय समस्याएं एवं निवारण

(D) संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण
पर्यावरण प्रबन्धन

21-5-20